रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड I
PART I—Section I
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 203] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 16, 2019/आषाढ़ 25, 1941
No. 203] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 16, 2019/ASHADHA 25, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2019

सं 17/4 / 2018- ईपी (एग्री.IV).—केन्द्र सरकार ने 'कृषि निर्यात नीति का कार्यान्वयन' शीर्षक नामक केन्द्रीय क्षेत्र की एक स्कीम को मंजूरी दी है।

1. प्रस्तावना और उद्देश्य

सरकार ने 6 दिसंबर,2018 को एक व्यापक कृषि निर्यात नीति आरंभ किया है। स्कीम का उद्देश्य कृषि निर्यात नीति 2018 (एईपी) के विभिन्न तत्वों को लागू करना है।

2. **स्कीम की अवधि :** यह स्कीम वर्ष 2019-20 की शेष अवधि के लिए लागू होगी।

3. **स्कीम के अवयव**: स्कीम के निम्न घटक हैं:

(i) **राज्य एजेंसियों को सहायता:** एईपी के पैरा 5.4 क में यह व्यक्त किया गया है कि कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक राज्य विभाग/संगठन को नोडल एजेंसी के रूप में अभिज्ञात किया जाएगा। इस तरह की नोडल एजेंसी का कार्य हितधारकों के साथ बने रहना, बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक बाधाओं की पहचान करना, निर्यातकों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ संपर्क करना, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और एजेंसियों द्वारा संचालित स्कीमों को अभिज्ञात करना और राज्य सरकारों के लिए आवंटन को अधिकतम करना, विदेश से खरीददारों की जानकारी प्राप्त करके राज्य स्तर पर रिवर्स क्रेता–विक्रेता बैठकों का आयोजन करना, राज्य स्तर के निर्यातकों को प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय मेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, आदि हैं।

वाणिज्य विभाग एग्री व्यवसाय, एग्री निर्यात और विदेशी व्यापार में पर्याप्त अनुभव रखने वाले दो परामर्शदाताओं की प्रत्येक राज्य में नियुक्ति के माध्यम से राज्य स्तर पर इस तरह की नोडल एजेंसी की क्षमता निर्माण, समर्थन करने और उनके संचालन

में एक सक्रिय भूमिका निभाएगा । राज्यों में अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए सहायता (प्रत्येक राज्य में 10) भी प्रदान की जाएगी । के दौरान 10 राज्यों को सहायता प्रदान की जाएगी ।

(ii) संस्थागत तंत्र के लिए सहायता: एईपी के पैरा 5.4 घ में निर्यात का समर्थन करने के लिए केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और समूह स्तर पर संस्थागत तंत्र की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

सभी संबंधित विभागों, संगठनों और राज्य सरकारों द्वारा दिये गए आदेशों का पालन करने के लिए वाणिज्य विभाग में एक मॉनिटरिंग सेल की स्थापित की जाएगी ।

स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदनों की जांच और निगरानी के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) कार्य करेगी ।

पहचान किए गए समूहों के लिए सीईओ और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए सहायता प्रदान की जाएगी । कार्यालय, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) आदि की स्थापना हेतु समूह के लिए आरम्भिक अनुदान भी प्रदान किया जाएगा । 2019-20 के दौरान 10 समूहों को सहायता प्रदान की जाएगी।

(iii) **समूहों के लिए सहायता:** एईपी का पैरा 6.1 निर्यात-केंद्रित समूह आधारित दृष्टिकोण पर जोर देता है जो उत्पादन के अधिक केंद्रित कटाई पूर्व और कटाई के बाद के प्रबंधन एवं जो उन समूहों से निर्यात के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला को अपग्रेड करने पर आधारित है ।

निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान की जाएगी : -

क. समूहों में फसल कटाई के बाद का बुनियादी ढांचा

ख. क्षमता निर्माण

ग. एकीकृत कृषि विकास हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी-आईएडी) के लिए अनुदान

घ. प्रयोगशालाएं

ड. नई तकनीक / नई मशीनरी का समावेश

च. उत्तम कृषि पद्धतियाँ (जीएपी) कार्यान्वियन

2019-20 के दौरान 10 समूहों को सहायता प्रदान की जाएगी।

(iv) **उत्पाद विकास के लिए सहायता:** एईपी का पैरा 6.2 क स्वदेशी वस्तुओं के लिए उत्पाद विकास और मूल्य-संवर्धन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। नए उत्पाद विकास, पैकेजिंग में सुधार, सामग्री के भण्डार एवं उपयोग होने तक की अवधि में वृद्धि और उत्पादन क्षमता में सुधार/उत्पादन लागत में कमी पर अनुसंधान के लिए सहायता प्रदान की जाएगी ।

(v) **विपणन के लिए सहायता:** एईपी के पैरा 6.2 ख मूल्य वर्धित जैविक निर्यात को बढ़ावा देने के उपायों का प्रस्ताव करता है। इसी तरह, पैरा 6.3 'भारत के उत्पादन' के विपणन और संवर्धन के लिए उपाय सुझाता है। इस घटक के अंतर्गत शैल्फ स्पेस, उत्पाद पंजीकरण, विशिष्ट जैविक, मूल्य वर्धित, पारम्परिक, जी आई, क्षेत्र विशिष्ट एवं ब्रांडेड उत्पादों के लिए विपणन प्रचार (प्रिंट/इलैक्ट्रांनिक), लक्षित देशों में रोड़ शो /क्रेता विक्रेता बैठक (बीएसएम) तथा लक्षित देशों में उत्पाद प्रतिदर्श के लिए सहायता प्रदान की जाएगी ।

किसानों की सहकारी समितियों, उत्पादक समितियों आदि को सीधे निर्यात संपर्क प्रदान करने के लिए ई-कॉमर्स मंच उपलब्ध कराने के लिए एक पोर्टल भी विकसित किया जाएगा ।

पोर्टल के विकास, संचालन और रख-रखाव और हितधारकों के क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी ।

(vi) **अनुसंधान और विकास के लिए सहायता:** ए ई पी का पैरा 6.7 कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक अनुसंधान और विकास गतिविधियों पर जोर देता है

दुनिया भर में प्रजनकों से निर्यात योग्य फ़ोकस फसलों के जर्मप्लाज्म और अभिज्ञात बीज किस्मों के आयात के लिए मैचिंग फंड के रूप में , सहायता प्रदान की जाएगी । सहायता का उपयोग रॉयल्टी भुगतान, क्षेत्र परीक्षण, गुणन केंद्र, क्षमता निर्माण आदि के लिए किया जा सकता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मसाले और अन्य कृषि उत्पादों के परीक्षण के लिए गुवाहाटी में एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी ।

4. स्कीम के संचालन संबंधी दिशानिर्देश

प्रत्येक घटक के तहत सहायता का दावा करने और सहायता के पैटर्न के लिए प्रक्रिया को रेखांकित करते हुए, परिचालन दिशानिर्देश, अलग से जारी किए जाएंगे ।

5. स्कीम का वित्तीय परिव्यय

वर्ष 2019-20 के लिए 206.80 करोड़ रु के परिव्यय के साथ स्कीम को अनुमोदित किया गया है। घटक-वार विवरण निम्नानुसार हैं:

घटक	**राशि (करोड़ रू. में)**
(i) राज्य एजेंसियों को सहायता	9.00
(ii) संस्थागत तंत्र के लिए सहायता	17.00
(iii) क्लस्टर के लिए सहायता	134.50
(iv) उत्पाद विकास के लिए सहायता	4.50
(v) विपणन के लिए सहायता	16.80
(vi) अनुसंधान एवं विकास के लिए सहायता	25.00
कुल योग	**206.80**

6. निगरानी और मूल्यांकन

वाणिज्य विभाग द्वारा एक निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। एक परियोजना निगरानी इकाई भी बनाई जाएगी ।

केशव चन्द्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

New Delhi, the 16th July, 2019

No. 17/4/2018-EP (Agri. IV).—The Central Government has approved a Central Sector Scheme titled 'Implementation of Agriculture Export Policy'.

1. Introduction and Objective

The Government has introduced a comprehensive Agriculture Export Policy on 6th December 2018. The Scheme aims to implement various elements of the Agriculture Export Policy 2018 (AEP).

2. **Duration of the Scheme:** The Scheme would be applicable for the remaining period of the year 2019-20.

3. **Components of the Scheme**: The Scheme has the following components:

(i) **Assistance to State Agencies:** In para 5.4A of the AEP, it has been stated that a State Department/Organisation will be identified as the nodal agency for promotion of agricultural exports. The function of such nodal agency would be to remain engaged with the stakeholders, identify infrastructure and logistic bottlenecks, liaise with different Departments within the State Government to address issues faced by the exporters, identification of the schemes run by various Central Ministries and

Agencies and maximize the allocation for the State Governments, organize reverse buyer-seller meet at the State level by getting buyers from abroad, encouraging State level exporters to participate in the relevant international fairs, etc.

Department of Commerce will play a proactive role in capacity building, supporting and handholding such nodal agency at the State level, through appointment of two consultants in each State with sufficient experience on Agri business, agri exports and foreign trade. Assistance for capacity building of officials in the States (10 in each State) will also be provided. Assistance will be provided to 10 States during 2019-20.

(ii) **Assistance for Institutional Mechanism:** Para 5.4D of the AEP provides for establishment of Institutional Mechanism at Union level, State level and cluster level to support exports.

A monitoring cell will be established in Department of Commerce to follow up on deliverables by all the concerned Departments, Organisations and State Governments.

A Project Monitoring Unit (PMU) will be engaged to scrutinise and monitor the applications for financial assistance under the Scheme.

Assistance will be provided for appointment of CEOs and the support staff for the identified clusters. Initial grant for a cluster for establishment of office, Farmer Producer Organisations (FPOs) etc. will also be provided. Assistance will be provided to 10 clusters during 2019-20.

(iii) **Assistance for Clusters:** Para 6.1 of the AEP emphasizes focus on export-centric cluster based approach a more focused pre and post-harvest management of the production, upgrading the supply chain to attain much higher levels of export from those clusters.

Assistance will be provided for the following:

a. Post-harvest infrastructure in clusters
b. Capacity building
c. Grant towards Public Private Partnership for Integrated Agriculture Development (PPP-IAD)
d. Laboratories
e. New technology / new machinery introduction
f. Good Agricultural Practices (GAP) implementation

Assistance will be provided to 10 clusters during 2019-20.

(iv) **Assistance for Product Development:** Para 6.2A of the AEP underlines the need for product development and value-addition for indigenous commodities. Assistance will be provided for new product development, developing packaging, shelf life increase and research on improving production efficiency / decrease in production cost.

(v) **Assistance for Marketing:** Para 6.2B of the AEP proposes measures to give a boost to the value added organic exports. Similarly, para 6.3 suggest measures for marketing and promotion of 'Produce of India'. Assistance under the component will be provided for shelf space, product registration, marketing campaign (print / electronic) for specific organic, value added, ethnic, Geographical Indications (GI), Region specific and branded products, Road shows / Buyer Seller Meets (BSM) in target countries and product sampling in target countries.

A portal will also be developed to provide e-commerce platform for providing direct export linkage to farmers' cooperatives, producer societies etc.

Assistance will be provided for development, operation & maintenance of the portal and capacity building of the stakeholders.

(vi) **Assistance for Research & Development:** para 6.7 of the AEP focusses on Research and Development activities required to promote exports of agricultural products.

Assistance, in the form of matching fund, will be provided for importing germplasm and seed varieties of identified exportable focus crops from breeders across the world. The assistance may be used for royalty payment, field trials, multiplication centres, capacity building etc.

Assistance will be provided to set up NABL accredited laboratory in Guwahati, for testing of spices and other agri products catering to the north eastern region.

4. Operational Guidelines the Scheme

Operational Guidelines, outlining the procedure for claiming assistance and the pattern of assistance under each component, will be issued separately.

5. Financial Outlay of the Scheme

The Scheme has been approved with an outlay of Rs. 206.80 crores for the year 2019-20. Component-wise details are as under:

Components	**Amount (Rs. in crores**
(i) Assistance to State Agencies	9.00
(ii) Assistance for Institutional Mechanism	17.00
(iii) Assistance for Clusters	134.50
(iv) Assistance for Product Development	4.50
(v) Assistance for Marketing	16.80
(vi) Assistance for R & D	25.00
Grand Total	**206.80**

6. Monitoring & Evaluation.

A Monitoring Cell will be established by the Department of Commerce. A Project monitoring unit will also be engaged.

KESHAV CHANDRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.07.17 22:09:41 +05'30'